



शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड।

31/62, राजपुर रोड,, देहरादून-248001

E mail – info.udduk@gmail.com, दूरभाष – 0135-2749541, फैक्स. 0135.-2749542

पत्रांक: 3816/श0वि0नि0/-2300/अधिवक्ता/पैनल

दिनांक:- 22 जनवरी, 2021

विज्ञापित/सूचना

निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून में जिला न्यायालयों/मा0 उच्च न्यायालयों में शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के विरुद्ध विभिन्न रिट याचिकाओं का प्रतिशपथ पत्र अंग्रेजी भाषा में तैयार करने हेतु योग्य/अनुभवी अधिवक्ताओं का शहरी विकास/आवास से सम्बंधित सेवा सम्बंधी प्रकरणों/अतिक्रमण आदि से सम्बंधित प्रकरणों में भिन्न हो, एक पैनल गठित किया जाना है जिसके लिये रिट याचिकाओं का प्रतिशपथ तैयार करने हेतु बिल के आधार पर भुगतान किया जायेगा इस कार्य हेतु प्रतिशपथ पत्र का 4,000.00 शुल्क शहरी विकास निदेशालय/नगर निकायों द्वारा भुगतान किया जायेगा, उक्त शुल्क में सभी प्रकार के टैक्स सम्मिलित है। उपरोक्त कार्य के लिए अधिवक्ता को कम से कम 05 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

अतः इच्छुक अधिवक्ता अपने व्यक्तिगत बायोडाटा अनुभव प्रमाण पत्र सहित प्रति रिट प्रतिशपथ पत्र अंग्रेजी भाषा में तैयार करने व उस प्रतिशपथ पत्र को टंकण कराकर निदेशालय को उपलब्ध कराने सहित अपना प्रति रिट पाराश्रमिक शुल्क का विवरण दिनांक 14-02-2021 शील बंद लिफाफे में शहरी विकास निदेशालय, 31/62 राजपुर रोड, देहरादून के कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

निदेशक, शहरी विकास निदेशालय।

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधिशासी निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड का इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त का प्रकाशन 02 दैनिक समाचार पत्रों में कम से कम स्पेस में प्रकाशन कराये जाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही कराते हुऐ प्रकाशित विज्ञापित की दो प्रतियां शहरी विकास निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 2- श्री चन्द्र प्रकाश रावत, एम0आई0एस0 विशेषज्ञ को इस निर्देश सहित प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञापित निदेशालय की वेबसाईट पर प्राथमिकता के आधार पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।


(विनोद कुमार सुमन)
निदेशक।